

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 194/36-3-2014-07(न्यूनतम)/04, दिनांक: 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक के औसत अंक 288.33 (दो सौ अठासी दशमलव तैतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त :- रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा:-

(288.33-216)

$$\text{---} \times 5750 = \text{रु० } 1925.45 \text{ प्रतिमाह}$$

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

| क्र. 0 | श्रेणी | प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में) | प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में) | | दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक | |
|--------|-------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------|
| | | | दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक | दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक | कुल मजदूरी (रूपये में) | दैनिक मजदूरी (रूपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अकुशल | 5750.00 | 1925.45 | 2262.73 | 8012.73 | 308.16 |
| 2 | अर्द्ध कुशल | 6325.00 | 2118.00 | 2489.00 | 8814.00 | 339.00 |
| 3 | कुशल | 7085.00 | 2372.49 | 2788.08 | 9873.08 | 379.73 |

नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आर्यल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बाँघ तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- तन्माकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- बानिकी (फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकान।
- वाणिज्य अधिष्ठान।
- बादल मिल